



बिहार गजट

समाचार्य मंत्र

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1928 (श०)

(सं० पटना 697) पटना, मंगलवार, 29 अगस्त 2006

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

29 अगस्त 2006

संख्या एल०जी० 1-0211/2006 लेज—197—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-
पारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अगस्त 2006
को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित
किया जाता है :—

[बिहार अधिनियम 21, 2006]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 का (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 2 का संशोधन।—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 2 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“(क) “जिला परिषद्” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित जिला स्तर की पंचायत”।

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 167 का संशोधन।—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 की उप-धारा (2)(ग) निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“(ग) सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम 415 भाग सदस्य, जो जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों, जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्वद के निर्वाचित पार्षदों के बीच से, उनके द्वारा विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्र और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे :

परन्तु निर्वाचित सदस्यों में व्यावहारिक रूप से यथाशक्ति पचास प्रतिशत महिलायें होंगी :

परन्तु और कि यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हो तो सरकार, जिला परिषद् के सदस्यों तथा जिलों की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पार्षद के पार्षदों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है जितना वह उपयुक्त समझे।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

29 अगस्त 2006

संख्या एल०जी० 1-02112006।लेज—198—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-
पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2006 को अनुमत बिहार पंचायत
राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी
भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 21, 2006]

THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2006

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (BIHAR
ACT 6, 2006)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar
in the fifty-seventh year of the Republic of India
follows:

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This
Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment)
Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section 2 of the Bihar Act, 6,
2006:*—Section 2 (a n) of the Bihar Panchayat Raj Act,
2006 shall be substituted by the following:—

“(a n) “Zila Parishad” means Panchayat at the
District Level constituted under this Act.”

3. *Amendment of Section 167 of the Bihar Act 6,
2006.*—Sub-section (2) (c) of Section 167 of the Bihar

Panch
follow

बिहा

MENT)

3 (BIHAR

25.

of Bihar.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

बड़ीशर, तासडीज संकन कामगी मंडार एवं प्रयासम एतन्ना हान प्रयासित एव
बड़ीशर, कीजयासय मृजयासय, चिहार, एतन्ना हान मृदित ।

विहार गजट (असाधारण), 697-~~साईको~~—571+390—एम० एन०. हसन

Act 6,
the Bihar

Not Found

